भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 796
जिसका उत्तर बुधवार,07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

निचली अदालतों में रिक्तियां

796. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सत्य है कि निचली अदालतों में इस समय रिक्तियां सर्वाधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को इन रिक्तियों को भरने के लिए कह रही है;

(घ) क्या सरकार का राज्यों को इन रिक्तियों को भरने के लिए पांच वर्षों तक एक बार वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) और (ख) : वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 5925 पद सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में रिक्त हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार रिक्तियां उपाबंध पर विवरण में दी गई है।

(ग) : संविधान के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति करना संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है। उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण विनिश्चयदिए है । इसमें अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम का मामला सम्मिलित है, जहां उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि चरणबद्ध रीति में न्यायाधीश पदसंख्या में किसी वृद्धि द्वारा अपनाई गई विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने के द्वारा पहले उदाहरण में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए । मलिक मजहर सुल्तान के मामले में,उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक रिक्तियों को भरने हेतु उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और समय अनुसूची की प्रकल्पना की है। अप्रैल, 2012 में उच्चतम न्यायालय ने ब्रिज मोहन लाल मामले में अपेक्षा के लिए निदेश जारी किया कि अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 % अतिरिक्त पदों की वृद्धि की जानी चाहिए । न्यायिक पद संख्या में वृद्धि और रिक्तियों के भरे जाने संबंधी मुद्दों पर भी, अगस्त, 2009 और अप्रैल,2013 में मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन तथा राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की सलाहकारी परिषद् की बैठक के दौरान विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसका अनुकरण करते हुए, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ, इस संबंध में विभिन्न संसूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। उच्च न्यायालयों द्वारा यथा दर्शित रिक्तियों को भरने में विलंब के कुछ कारण उचितअभ्यर्थियों, लंबित न्यायालय मामलों की चुनौती, पूर्ववर्ती भर्ती और उच्च न्यायालयों और राज्य पुलिस सेवा आयोगों

के मध्य समन्वय में कठिनाइयों को प्राप्त करने की असमर्थता है। इन प्रतिउत्तरों के आधार पर, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, कार्रवाई किए जाने योग्य ऐसे बिंदुओं की, जिसमें इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर विचार किया जा सकता है, सूची के साथ पत्र लिखे गए थे। इस मुद्दे को राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की 7वीं सलाहकारी परिषद् की बैठक में भी उठाया गया था, जहां यह विचार विमर्श किया गया था कि पात्र अभ्यर्थियों की सीधे भर्ती हेतु बहु स्रोतों को अनुज्ञात करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु भर्ती नियमों में कुछ अतिरिक्त नम्यता की आवश्यकता हो सकती है। सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि सचिवों के साथ हाल ही में आयोजित वीडियो सम्मेलन के दौरान, जिला और सत्र न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर महत्व दिया गया था।

(घ) और (ङ) :जिला और अधीनस्थ न्यायालों में रिक्तियों को भरे जाने का उत्तरदायित्व संविधान के अधीन संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों में निहित है। संघ सरकार इन रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में किसी वित्तीय सहायता का उपबंध नहीं करती है।

****

उपाबंध

निचली न्यायपालिका से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 796 जिसका उत्तर 7 फरवरी, 2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्यक्षेत्रों का नाम	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां
1.	उत्तर प्रदेश	1,348
2.	बिहार	835
3.	मध्य प्रदेश	728
4.	गुजरात	375
5.	तमिलनाडु	341
6.	कर्नाटक	327
7.	दिल्ली	31 6
8.	झारखंड	253
9.	ओडिशा	204
10.	महाराष्ट्र	167
11.	हरियाणा	149
12.	पंजाब	136
13.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	114
14.	राजस्थान	103
15.	केरल	80
16.	असम	76
17.	छत्तीसगढ़	63
18.	उत्तराखंड	60
19.	मेघालय	58
20.	पश्चिमी बंगाल	40
21.	त्रिपुरा	31
22.	जम्मू - कश्मीर	29
23.	मिजोरम	17
24.	गोवा	12
25.	नागालैंड	12
26.	अरुणाचल प्रदेश	1 1
27.	हिमाचल प्रदेश	1 1
28.	मणिपुर	9
29.	सिक्किम	5
30.	पांडिचेरी	14
31.	लक्षद्वीप	1
32.	अंदमान और निकोबार दीप	0
33.	चंडीगढ़	0
34.	दादर और नागर हवेली और दमण और दीव	0
कुल		**5,925**

****